

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- कृष्ण गोपाल जोजन

दायर दिनांक: 12/12/2019

प्रकरण सं० 186/2019

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 32 वर्ष पुत्र कृष्णचन्द
2. प्रेमबिहारी आयु 31 वर्ष पुत्र कृष्णचन्द
3. सुगना बाई आयु 35 वर्ष पुत्री कृष्णचन्द जातियान मीणा निवासीगण आटोन तह० अटरू जिला बारा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. कृष्णचन्द आयु 55 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति मीणा निवासी आटोन तह० अटरू जिला बारा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश

दिनांक :23/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 80 का ख० न० 316/1863 का रकबा 0.37 है० ख० न० 394 का रकबा 2.64 है० ख० न० 540 का रकबा 1.60 है० ख० न० 1357 का रकबा 0.02 है० ख० न० 1359 का रकबा 0.05 है० ख० न० 1369 का रकबा 0.21 है० ख० न० 1370 का रकबा 0.20 है० कुल कित्ता 7 का रकबा 5.09 है० प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद० 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी अमरलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता अमरलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है।

जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4, बनता है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/4 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी परमें अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 06.10.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/4, 1/4 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण कैं0 सी0 सी0 नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/4 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/4 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 08.11.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावे। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

- (अ) वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/4, 1/4, राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री चन्दालाल नागर एड० द्वारा वकालत नामा पेश किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी ग्राम व माल आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 80 का कुल किता 7 की 5.09 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो प्रतिवादी की पैत्रक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है।

ग्राम व माल आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 80 की ख०नं० 316/1863 की 0.37 है० ख०नं० 394 की 2.64 है० ख०नं० 540 की 1.60 है० ख०नं० 1357 की 0.02 है० ख०नं० 1359 की 0.05 है० ख०नं० 1369 की 0.21 है० आराजी को वादी क्रम 1 सत्यनारायण 2 प्रेमबिहारी व प्रतिवादी क्रम 1 कृष्ण चन्द के व ख०नं० 1370 की 0.20 है० आराजी को वादी क्रम 3 सुगना बाई के दर्ज खाता कर दिया जाकर उक्त आराजी में कृषक खातेदार घोषित किया जावें।

वादी क्रम 3 सुगना बाई ने अपने हिस्से की खसरा नं० 1370 की ख०नं० 0.20 है० आराजी का हकत्याग वादी क्रम 1 सत्यनारायण 2 प्रेमबिहारी व प्रतिवादी क्रम 1 कृष्णचन्द के पक्ष में कर दिया है। इसलिए वादी क्रम 1, 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/3, 1/3 का कृषक खातेदार घोषित किया जाकर हिस्सा 1/3, 1/3 को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुए राजीनामों को तस्दीक किये जाने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड० द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चन्दा लाल नागर एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा०फा० किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम आटोन की खाता संख्या 80 की कुल किता 7 की 5.09 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

**—:क्रियात्मक आदेश:—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन की खाता संख्या 80 की कुल किता 7 की 5.09 है0 में वादी क्रम 1 ल 3 प्रतिवादी क्रम 1 को  $1/4-1/4$  हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, राजीनामानुसार वादी क्रम 3 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा  $1/3$  का हकत्याग वादी क्रम 1, 2 व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में करने से वादी क्रम 1 व 2 को व प्रतिवादी क्रम 1 को  $1/3, 1/3$  हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग शुल्क जमा करवाकर व रहन का नोट खाते में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 186/2019

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 32 वर्ष पुत्र कृष्णचन्द
2. प्रेमबिहारी आयु 31 वर्ष पुत्र कृष्णचन्द
3. सुगना बाई आयु 35 वर्ष पुत्री कृष्णचन्द जातियान मीणा निवासीगण आटोन तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. कृष्णचन्द आयु 55 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति मीणा निवासी आटोन तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन की खाता संख्या 80 की कुल किता 7 की 5.09 है0 में वादी क्रम 1 ल 3 प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, राजीनामानुसार वादी क्रम 3 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 का हकत्याग वादी क्रम 1, 2 व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में करने से वादी क्रम 1 व 2 को व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग शुल्क जमा करवाकर व रहन का नोट खाते में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

